



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 71-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 10, 2016 (VAISAKHA 20, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मई, 2016

संख्या 6/2/2016-2 विद्युत.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36), की धारा 162 की उप-धारा (1) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली उत्पादक इकाइयों सहित उत्पादक इकाइयों के 100 केवीए से अधिक क्षमता वाले सभी यन्त्रों का निरीक्षण, संचालन से पूर्व, विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

राजन गुप्ता ,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 10th May, 2016

No. 6/2/2016-2 Power.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003) and regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Governor of Haryana hereby notifies that all the apparatus of capacity above 100 KVA of the generating units including generating units producing electricity from renewable sources of energy shall be inspected by the Electrical Inspector before commissioning.

RAJAN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.